27/1/202[illegible]

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

रॉयल एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, चन्द्रकृपा, पपरौर, जिला– बेगूसराय (निबंधन संख्या–478/01) को काली सुची में सम्मिलित किये जाने के विरूद्ध दायर अपील अभ्यावेदन (08.08.2022) के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में :–

06/12/2022

आदेश

संवेदक रॉयल एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, चन्द्रकृपा, पपरौर, जिला– बेगूसराय (निबंधन संख्या–478/01) एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया उपस्थित।

प्रस्तुत मामला कार्य प्रमंडल, खगड़िया के अधीन PMGSY योजना के तहत (पैकेज संख्या बी0आर0–17–04) दो पथ 1.गुदरी स्थान से अमनी 2. आर0ई0ओ0 पथ मानसी चौथम बदला घाट से हरदिया पथ जिसका एकरारनामा संख्या–5F2/2003-04 था। उक्त पथों में किये गये एकरारनामा अनुसार कार्य ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण इन्हें ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प विभागीय ज्ञापांक 5177 दिनांक 24.01.2007 द्वारा काली सूची में सम्मिलि किये जाने से संबंधित है।

संदर्भित कार्य को पूरा करने की प्रदत समयावधि (15.08.2004) बीत जाने के उपरान्त भी उपर्युक्त दोनों पथों का कार्य संवेदक रॉयल एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, चन्द्रकृपा, पपरौर, जिला– बेगूसराय (निबंधन संख्या–478/01) के द्वारा पूर्ण नहीं किया गया। जिस कारण उभय पक्षों के बीच किये गये एकरारनामा को रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त की गयी थी। तदालोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के प्रावधानो के तहत इन्हें कालीसूची में सम्मिलित किया गया।

उक्त संवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि प्रश्नगत मामले में इन्हें ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा वर्ष 2007 में काली सूची में डालने की कार्रवाई की गयी है। वर्त्तमान समय में लगभग 15 (पन्द्रह) वर्षो से वे काली सूची में सम्मिलित है, जिसके कारण इन्हें काली सूची से मुक्त किया जाय।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया द्वारा उपस्थित होकर बताया गया है, कि इन्हें काली सूची में सम्मिलित किये जाने से संबंधित काल अवधि लगभग 15 (पन्द्रह) वर्ष पूर्ण किये जाने के कारण काली सूची से इन्हें मुक्त किया जा सकता है।

वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है, कि प्रस्तुत मामला कालबाधित होने के कारण ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के संकल्प विभागीय ज्ञापांक 5177 दिनांक 24.01.2007 द्वारा निर्गत आदेश को Set aside किया जाता है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

06

<u>अभियंता प्रमुख का कार्यालय,</u>
<u>ग्रामीण कार्य विभाग,</u>
<u>बिहार, पटना।</u>

निबंधित

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–01–25/2022 2134 /पटना, दिनांक 27/4/23

प्रतिलिपिः– रॉयल एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड (निबंधन संख्या–478/01) चन्द्रकृपा, पपरौर, जिला– बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

25/4/23

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–25/2022 2134 /पटना, दिनांक–27/4/23

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/4/23
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–25/2022 2134 /पटना, दिनांक–27/4/23

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

25/4/23
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–25/2022 2134 /पटना, दिनांक–27/4/23

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/4/23
अभियंता प्रमुख